mstP/ Dy.No-8

1

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Notification

New Delhi, the 10th day of April, 2015

S.O. (E)- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income –tax (Fifth Amendment) Rules, 2015.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, –

(1) in rule 114, –

Ms. Rekha 15/4/15

(a) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"**Provided** that in case of an applicant, being a company which has not been registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the application for allotment of a Permanent Account Number may be made in Form No. INC-7 specified under sub-section (1) of section 7 of the said Act for incorporation of the company.";

(b) in sub-rule (4),-

(i) in the opening portion, after the words, brackets and figure "referred to in sub-rule (1)" the brackets, words and figure "[other than that referred to in the proviso to sub-rule (1)]" shall be inserted;

(ii) in the TABLE, in column (4),-

(I) against Sl. No. (1), for item (C) the following item shall be substituted, namely:-

"(C) Proof of date of birth—
copy of the following documents if they bear the name, date, month and year of birth of the applicant, namely:-—

(a) birth certificate issued by the municipal authority or any office authorised to issue birth and death certificate by the Registrar of Birth and Deaths or the Indian Consulate as defined in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955); or
(b) pension payment order; or
(c) marriage certificate issued by the Registrar of Marriages; or
(d) matriculation certificate or mark sheet of recognised board; or
(e) passport; or
(f) driving licence; or
(g) domicile certificate issued by the Government; or
(h) aadhar card issued by the Unique Identification Authority of India; or
(i) elector's photo identity card; or
(j) photo identity card issued by the Central Government or State Government or Central Public Sector Undertaking or State Public Sector Undertaking; or
(k) Central Government Health Service Scheme photo card or Ex-servicemen Contributory Health Scheme photo card; or
(l) affidavit sworn before a magistrate stating the date of birth.";

(II) against Sl. No. 3, for the words "Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Companies.", the following shall be substituted, namely:-

"(a) Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Companies; or
(b) corporate identity number allotted by the Registrar under section 7 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).";

(2) in rule 114A, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"**Provided** that in case of an applicant, being a company which has not been registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the application for allotment of a tax deduction and collection account number may be made in Form No. INC-7 specified under sub-section (1) of section 7 of the said Act for incorporation of the company.".

[Notification No.38 /2015][F.No.142/15/2013-TPL]

[Gaurav Kanaujia]
Director to Government of India

Note:- The principal rules were published vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (fourth Amendment) Rules, 2015 vide notification number S.O. 915 (E), dated the 1st day of April, 2015.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 10 अप्रैल, 2015

का.आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,--

(1) नियम 114 में,--

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु किसी आवेदक की दशा में, जो कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना है, कंपनी के निगमन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्ररुप सं. आईएनसी-7 में स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन करेगी ।";

(ख) उपनियम (4) में,--

(i) आरंभिक भाग में, "उपनियम (1) में उल्लिखित" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "[उपनियम (1) के परंतुक में निर्दिष्ट से भिन्न]" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) सारणी के स्तंभ (4) में,--

(I) क्रम सं. 1 के सामने मद सं. ग के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(ग) जन्म की तारीख का सबूत–

निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति, यदि उनमें आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, मास और वर्ष है :-

(क) नगरपालिक प्राधिकरण या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई कार्यालय या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथापरिभाषित भारतीय काउंसलेट द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ; या

(ख) पेंशन संदाय आदेश ; या

(ग) विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र ; या

(घ) मान्यताप्राप्त बोर्ड का मेट्रीकुलेशन प्रमाणपत्र या अंक पत्र ; या

(ङ) पासपोर्ट ; या

(च) चालन प्रमाणपत्र ; या

(छ) सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र ; या

(ज) भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड ; या

(झ) मतदाता फोटो पहचान पत्र ; या

(ञ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ; या

(ट) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या सेवानिवृत्त अभिदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड ; या

(ठ) किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लिया गया जन्म की तारीख अभिकथित करने वाला शपथ पत्र ।";

(II) क्रम सं. 3 के सामने "कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ; या

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा आबंटित कारपोरेट पहचान संख्यांक ।";

(2) नियम 114क के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु किसी आवेदक की दशा में, जो कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, कंपनी के निगमन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररुप सं. आईएनसी-7 में स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन करेगी ।";

{अधिसूचना संख्या ..31../2015/फा.सं. 142/15/2013-टीपीएल}

गौरव कनौजिया

(गौरव कनौजिया)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ.-969 (अ) तारीख 26 मार्च,1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ.915 (अ) तारीख 01/04/2015 द्वारा आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा उनमें संशोधन किया गया ।